पत्रांक : केन्द्रीय (म0)–753/24–कै0–2088

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

प्रेषक,

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 31/08/2026

विषय: कक्षा 12वीं, 10वीं तथा 09वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा, 2026 तथा कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा, 2026 की गोपनीय सामग्रियों के प्रेषण के संबंध में।

महोशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा, 2026 तथा कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा, 2026 दिनांक 18.09.2026 से दिनांक 26.09.2026 तक तथा कक्षा 09वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा, 2026 दिनांक 21.09.2026 से दिनांक 23.09.2026 तक की अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान/विद्यालय में आयोजित होगी।

2. उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक 07.09.2026 से 15.09.2026 तक की अवधि में गोपनीय सामग्री आपके जिला में प्राप्त कराया जाना सुनिचित है। इसलिए यह आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रक के प्रतिनिधि द्वारा आपूरित गोपनीय सामग्रियों को निर्धारिंत व्यवस्था के अनुसार प्राप्त कराकर एजेंसी प्रतिनिधि को प्राप्ति रसीद दे दिया जाए तथा गोपनीय सामग्रियों को निर्धारिंत प्रक्रिया के अनुसार अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए।

3. उक्त परीक्षा के लिए आपके स्तर से कसाचार विद्यालयों/शिक्षण संस्थान की संख्या के आधार पर समिति द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में आपके द्वारा गोपनीय सामग्रियों के वितरण हेतु निर्धारिंत संख्या में वितरण केन्द्र का चयन किया गया है। तल्नुसार गोपनीय सामग्रियों के पैकेट जिला मुख्यालय में विम्श्रित उपयुक्त वितरण केन्द्र वाले बड़े भवनों (विद्यालय परिसर में अधश्यिता) में संबद्ध विद्यालयों के प्रधान/प्राधिकूत शिक्षक को परीक्षा प्रारभ की तिथि के पूर्व हस्तगत कराया जायेगा ताकि कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा, 2026 एवं कक्षा 12वीं, 10वीं तथा 09वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा, 2026 ससयय प्रारभ करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

4. अनुरोध है कि शिक्षण संस्थान/विद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा प्राधिकूत प्रतिनिधि को अपने स्तर से स्पष्ट निदेंश देंगे कि किसी भी परिस्थिति में आपूरित सामग्रियों की गोपनीयता भंग न होने पाये एवं गोपनीय सामग्रियों तथा उत्तरपुस्तिकाओं के सुरक्षित संधारण की संचूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान/विद्यालय के प्रधान की होगी। इन सामग्रियों की गोपनीयता बनाए रखने हेतु आप भी अपने स्तर से इनका निरंतर अनुश्रवण करेंगे।

5. वर्णित परिद्रश्य में स्पष्ट है कि विषयाकित वितरण की गोपनीयता तथा परीक्षा की शुचिता बनाये रखने का दायित्व आपका भी है, अतः सभी आवश्यक कार्यवाई ससमय सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है।

विश्वासभाजन,
31/8/26
सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

Letter_A_25_983